न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 91/19 **निर्णय दिनांकः–12–02–2020**

1. भोजाराम पुत्र मंगतराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 01–05–1995 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 25 बीएलडी (बी) के मुरब्बा नम्बर 176/38 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मुरब्बें के आवंटन हेतु अपीलांट के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट व अन्य पात्र व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करते हुए अपीलांट को भी उक्त भूमि के आवंटन का पात्र धोषित किया गया था। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं आने व उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–05–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 16–05–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–05–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–05–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 25 बीएलडी (बी) के मुरब्बा नम्बर 176/38 की भूमि बतौर विशेष आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया व अन्य आवेदक के उपस्थित आने पर उक्त भूमि अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटित कर दी गई है। अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व नोटिस क्रमांक 12238 दिनांक 30–11–1998 व नोटिस क्रमांक 5155 दिनांक 24–04–1999 जारी किया गया कि वे निलामी में भाग लेने के लिये 35 प्रतिशत राशि मय वांछित सबूत यथा सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मतदाता सूची 1971, 1980, 1985, 1988 व 1995 व मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित आवें। अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक के निलामी में मय सबूत उपस्थित आने पर उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। विशेष आवंटन नियमों में अन्य भूमि आवंटन के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने व निलामी में उपस्थित नहीं आने के आधार पर खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 01–05–1999 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: